

भारतीय प्रेस परिषद

बैठकों के संबंध में

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: जांच समिति के समक्ष किसी का मामला कब सूचीबद्ध किया जाएगा?

उत्तर: उन मामलों में, जहां कागजात पूर्ण हैं, अर्थात् टिप्पणियां/लिखित वक्तव्य/प्रति टिप्पणियां, जांच समिति के समक्ष यथासमय रखी जाती हैं, मामलों का एजेंडा तैयार किया जाता है और जांच समिति में सुनवाई की सूची के अनुसार पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाते हैं। सुनवाई का कैलेंडर परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

प्रश्न 2: जांच समिति की सुनवाई की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: जांच समिति में सुनवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

- सुनवाई के लिए नोटिस पक्षकारों को सुनवाई की तारीख और समय दर्शाते हुए जारी किया जाता है।
 - मामले का प्रतिनिधित्व स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।
 - जांच समिति परिषद के समक्ष दर्ज किए गए कागजात के साथ मामले की सुनवाई करती है और सुनवाई के दौरान मौखिक निवेशन भी किया जा सकता है।
- दोनों पक्ष (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी) सुनवाई के दौरान और कागजात पेश कर सकते हैं।
- जांच की समाप्ति पर, समिति शिकायत में निहित आरोपों पर अपने जांच परिणाम की रिपोर्ट इसके कारणों सहित तैयार करेगी और मामले की रिपोर्ट इसके अनुसमर्थन के लिए परिषद को प्रस्तुत करेगी।

प्रश्न 3: मामले के स्थगन के बाद इसे कब दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा?

उत्तर: परिषद की दो जांच समितियां हैं- जांच समिति-I और जांच समिति-II । जांच समिति-I द्वारा स्थगित किए गए मामले को, इसके बाद की जांच समिति-I की बैठक के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा और जांच समिति-II द्वारा स्थगित किए गए मामले को इसके बाद की जांच समिति-II की बैठक के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। बैठकों का वार्षिक कैलेंडर परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न 4: जांच समिति की रिपोर्ट पर परिषद द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है?

उत्तर: मामलों में जांच समिति की संस्तुतियों को अनुसमर्थन के लिए पूर्ण परिषद की बैठक में रखा जाता है, जो आम तौर पर हर तीन महीने के बाद होती है। (परिषद की बैठक वेबसाइट पर अपलोड किए गए कैलेंडर के अनुसार निर्धारित है)

प्रश्न 5: न्यायनिर्णय की प्रति कब प्राप्त होगी ?

उत्तर: पूर्ण परिषद द्वारा अनुसमर्थन के बाद, न्यायनिर्णयों को जनता की जानकारी के लिए परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और न्यायनिर्णयों को पार्टियों को अग्रेषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया आम तौर पर एक पखवाड़े में पूरी हो जाती है।

प्रश्न 6: परिषद की सामान्य शक्तियाँ क्या हैं?

उत्तर: परिषद के पास, अपने कार्यों को करने या कोई जांच करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित मामलों में, पूरे भारत में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दीवानी अदालत को होती हैं।

क. व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

ख. दस्तावेजों को खोज ना और निरीक्षण की आवश्यकता '

ग. हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना;

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना।

ड. गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; तथा

च. कोई अन्य मामला, जो निर्धारित किया जाये ।

■ परिषद द्वारा की गई प्रत्येक जांच को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228

के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

